पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम्

सुभाष कुमार चटर्जी एवं अन्य

सिविल अपील की संख्या 5538/2008

अगस्त 17, 2010

[बी- सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्द्र सिंह निज्जर जेजे-]

प्रशासनिक ट्रिब्युनल अधिनियम, 1985

एस. 19- पश्चिम बंगाल कर्मचारीगण द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन वेतनमान एवं लाभ के निर्धारण में संशोधन की मांग करते हुए - न्यायाधिकरण में मुख्य अभियन्ता को आवेदन को निर्णित किये जाने का निदेश दिया-मुख्य अभियन्ता द्वारा वेतनमान का संशोधन - न्यायाधिकरण का आदेश कर्मचारीगण की मांग को तद्नुसार स्वीकार करते हुए -उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित -अपील पर अभिनिर्धारित किया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य में वेतनमान वैधानिक नियम के तहत तय किए गए हैं - प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपने आदेश से किसी भी अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण निर्माण/गठन नहीं कर सकते हैं एवं मामलों को निर्णय हेतु सौंप सकते हैं जो अन्यथा उनके क्षेत्राधिकार का ना हो। मुख्य अभियन्ता

को निर्णय देने का निर्देश देते हुए न्यायाधिकरण का आदेश वेतनमान के सम्बन्ध में विवाद प्रारम्भिक रूप से शून्य है और लागू नहीं किया जा सकता है- कार्यपालक प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्रशासनिक निर्णय न्यायालय को बाध्य नहीं करता, बहुत कम प्राडन्याय- कोई भी न्यायालय परमादेश अधिकारियों को नियमों के उल्लघंन में कार्य करने के लिए जारी नहीं कर सकता है - मुख्य अभियन्ता का निर्णय आर.ओ.पी.ए. अधिनियम, 1998 के विपरीत होने के कारण लागू नहीं किया जा सकता, चाहे ऐसा निर्णय न्यायाधीकरण के निर्देशो के तहत लिया गया हो। उच्च न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के आदेश रद्द- भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 226-सेवा कानून & पश्चिम बंगाल सेवा (वेतनमान एवं भत्ते) नियम 1998 में संशोधन – प्राडन्याय .

न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार - न्यायाधिकरण आवेदन पर कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने का निर्देश दे रहा है - माना गया: अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को प्रदत्त शक्ति संविधान के अनुच्छेद 323-ए से प्राप्त होती है - इस तरह की शक्ति को वैध कानून के अलावा कभी भी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। संसद द्वारा - अब से देश में न्यायाधिकरणों को उनके समक्ष दायर मूल आवेदनों को उनके निपटान के लिए कार्यकारी अधिकारियों को भेजने की ऐसी प्रथा नहीं दोहरानी चाहिए - भारत का संविधान, 1950 -अनुच्छेद 323-ए

सड़कों में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का पद एवं भवन अनुसंधान संस्थान एवं लोक निर्माण (सड़क) विभाग के तहत विभिन्न अन्य प्रभाग अनुसंधान सहायद हेतु प्रदायक पद (वेतनमान एवं भत्ते नियम 1981) के तहत अनुसंधान एवं अनुसंधान सहायक के पद के लिए वेतनमान स्केल संख्या 9 (रूपये 300-910) एवं वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए स्केल संख्या 6 (रूपये 300-685) निर्धारित किया गया था। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक ने रिट याचिका यह दावा करते हुए पेश की थी कि स्केल संख्या11 नियमों के तहत इस आक्षेप के आधार पर कि इनके द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान सहायक के समान कर्तव्यों का निष्पादन किया जा रहा था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्केल संख्या 11 की मंजूरी दी] हालांकि एक निर्देश पारित किया कि उक्त वेतनमान का भुगतान 1 अप्रेल, 1981 से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए गठित तीसरे वेतन आयोग ने केवल स्केल संख्या 6 को अनुमोदित किया जिसमें (रूपये 1040-920) तक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हेतु संशोधित किया गया। अनुसंधान सहायकों के लिए स्केल संख्या 9 (संशोधित रूपये 12060-2610) रूपये प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सेवा वेतनमान एवं भत्ते नियम 1990 को तैयार किया जिसमें क्रमशः स्केल नंबर 6 एवं 9 वरिष्ठ अनुसंधान सहायक एवं अनुसंधान सहायक को सुपुर्द की गई। चतुर्थ वेतन आयोग ने समान वेतनमान को बरकरार रखा। हालांकि वेतन संरचना को संशोधित

किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम 1998 में संशोधन निर्णित किया।

यहां उत्तरदाताओं जो अनुसंधान सहायक हैं, ने न्यायाधिकरण के समक्ष वेतनमान को लाभ निर्धारण दिनांक 01 अप्रेल, 1981 स्केल संख्या 14 के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। न्यायाधिकरण में मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण (सड़क) निदेशालय को निर्देश दिया कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण तर्कसंगत आदेश के साथ किया जाए। मुख्य अभियन्ता ने स्केल संख्या 11 उत्तरदाताओं को विस्तरित किया। इसके पश्चात न्यायाधिकरण ने राज्य को मुख्य अभियन्ता के आदेशों के शर्तों के अधीन वेतनमान में संशोधन करने का आदेश दिया। अपीलार्थी राज्य ने एक रीट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रीट याचिका को खारिज किया एवं न्यायाधीकरण के द्वारा पारित आदेश बरकरार रखा। इसलिए अपीलकर्ता राज्य ने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा अपील को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 न्यायाधीकरण उन पर प्रदत्त शक्तियों से बाहर नहीं जा सकते एवं स्वयं के सेवा सम्बन्धित विवदों को निर्धारित करने के अनिवार्य कार्य एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते ऐसा प्रत्यायोजन प्रारम्भिक रूप से अमान्य है। कोई भी न्यायाधिकरण अपनी जिम्मेदारियों को प्रत्यायोजित

नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हो। प्राशासनिक न्यायाधिकरण को प्राशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियां अनुच्छेद 323 ए भारत के संविधान, 1950 से निकलती हैं। ऐसी शक्ति को संसद द्वारा बनाए गए वैद्य कानून के अतिरिक्त प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण स्वयं के द्वारा किसी विवाद को निस्तारित करने की शक्ति जो कि कानूनी तौर पर न्यायाधिकरण द्वारा ही विशेष रूप से निस्तारित की जानी है को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। ऐसी विस्तृत असाधरण शक्ति एवं क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरण को प्रदत्त की गई हैं। यह उनका आवश्यक कर्तव्य है कि उनके सामने आने वाले मामलों के निपटारे को एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार को अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकार को प्रत्यायोजित न करे। ऐसी प्रथा अवांछनिय परिणामों से भरी हुई है जो कि उसी उद्देश्य एवं योजना जिसके तहत बना है को नष्ट करती हैं एवं विशिष्ट भागों के विवादों के निपटारे के लिए गठित है। अब से देश के न्यायाधिकरण द्वारा इनके समक्ष पेश मूल प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी को निपटारे हेतु भेजे जाने की प्रथा की पुनरावृर्त्ति नहीं की जानी चाहिए। प्राशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश जिसमें मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण ;सड़कद्ध निदेशालय को उत्तरदायी द्वारा उठाया गया वेतनमान से सम्बन्धित विवाद के निपटारे को आदेशित किया गया प्रारम्भिक रूप से अमान्य है एवं प्रभावी नहीं किया जा सकता। [19 एवं 24] [120.एफ-एच;121-ए डी; 122-ई]

1.2 मुख्य अभियन्ता द्वारा न्यायाधिकरण के निर्देशों के अधीन कार्य करते हुए यह आदेश घोषणा करते हुए पारित किया गया कि उत्तरदायी उनके द्वारा मांगे गए अनुतोष के अधिकारी एवं तद्नुसार स्केल संख्या 11 को उत्तरदायी को स्वीकृत किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य में वेतमान का निर्धारण वैधानिक नियमों के तहत किया जाता है। मुख्य अभियन्ता ने पूर्व में वैधानिक नियमों को अनदेखा किया जिसके तहत उत्तरदायी स्केल संख्या 9 के अधिकारी हैं। सरकार ने उक्त को लागू नहीं किया। उत्तरदायरी एक बार फिर न्यायाधिकरण के पास मुख्य अभियन्ता के आदेश के निष्पादन के लिए उचित निर्देश हेतु गए। न्यायाधिकरण ने उत्तरदायी के आवेदन पर अनुमति देते हुए माना कि वे मुख्य अभियन्ता की सिफारिशों के अनुसार वेतमान के निर्धारण के लिए अधिकृत हैं एवं राज्य को उसे लागू करना चाहिए। यह सराहनीय नहीं है कि किस प्रकार प्रशासनिक न्यायाधीकरण ने मुख्य अभियन्ता की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य को निर्देशित किया जो कि न केवल वेतन आयोग की सिफारिशों बल्कि पश्चिम बंगाल सेवा [वेतनमान एवं भत्ते] नियम, 1981 का विरोध करती है [पेरा 15 एवं 16] [119.सी-एफ]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा रीट याचिका को खारिज करते हुए यह माना गया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा एक गंभीर कार्य का निर्वहन किया है अर्द्ध न्यायिक कर्तव्य के कार्य को अन्तिम रूप प्राप्त हो चुका है। अब इसके

निष्पादन का प्रश्न है ष् उच्च न्यायालय द्वारा इस हद तक माना गया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन पारित किया गया फैसला प्रडन्याय के रूप में प्रभावी होगा यदि नहीं तो विबन्धक जारी हो। उच्च न्यायालय ने ऐसा अस्थिर प्रस्ताव रखा। मुख्य अभियन्ता ने ऐसा कोई अर्द्धन्यायिक कर्तव्य निष्पादन का कार्य नहीं किया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपने आदेशों से अर्द्धन्यायिक अधिकारिकताओं का निर्माण एवं गठन नहीं कर सकते हैं एवं उनको मामले के निपटारे हेतु सौंप सकते जो कि अन्यथा उनके क्षेत्राधिकार में न हो [पेरा 22] [121.जी-एच;122-ए]

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि यह मानने में की गई है कि मुख्य अभियन्ता द्वारा पारित आदेश एक फैसला है। मुख्य अभियन्ता द्वारा पक्षों के बीच कोई न्यायिकनिर्णय नहीं है। मुख्य अभियन्ता कानूनी रूप से किसी विवाद के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं था एवं कुछ हद तक किसी विवाद एवं परिवाद के सम्बन्ध में जो कि लोगों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में हो जिसमें लो पद राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित एवं नियुक्त हो। मुख्य अभियन्ता द्वारा किसी भी न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक क्षमता में कार्य नहीं किया जा रहा था। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक फैसले न्यायालयों को बाध्य नहीं करते एवं कुछ हद तक प्राडन्याय की तरह प्रभावी होते हैं। इन परिस्थितियों में मुख्य अभियन्ता

का यह मत कि उत्तरदायी स्केल संख्या 11 के अधिकारी नहीं थे, प्राडन्याय के रूप में प्रभावी नहीं किया जा सकता। [पेरा 25] [122-एफ-एच;123-ए]

1.5 राज्य सरकार ने लगातार वेतन आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए आरओपीए नियमों के तहत वैतनिक नियम बनाकर उन सिफारिशों को प्रभावी किया और कर्मचारियों के वेतनमान तदनुसार तय किए गए हैं। उत्तरदाताओं ने उक्त नियमों के प्रावधान को चुनौती नहीं दी जिसके तहत वे केवल एक विशेष वेतानमान के हकदार थे। राज्य सरकार वैतनिक नियमों का पालन करने एवं केवल वहीं वेतनमान देने के लिए बाध्य है जो वैतनिक प्रावधानों के तहत निर्धारित है। न तो सरकार नियमों के विपरीत कार्य कर सकती है और न ही न्यायालय सरकार को नियमों के विपरीत कार्य करने का निर्देश दे सकती है किसी सरकार को कानूनी के किसी प्रावधान को लागू करने से परहेज करने का निर्देश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कोई भी अदालत अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी नहीं कर सकती क्योंकि वह अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करने जैसा होगा। ऐसे निर्देशों के परिणामस्वरूप कानून का शासन नष्ट हो सकता है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में वास्तव में राज्य को वैतनिक नियमों के विपरीत वेतनमान देने के लिए मजबूर किया इसके तहत कर्मचारियों के वेतनमान तय किए जाते हैं।

मुख्य अभियन्ता का निर्णय पश्चिम बंगाल सेवा ;वेतनमान एवं भत्ते का संशोधनद्ध नियम 1998 के विपरीत होने के कारण लागू नहीं किया जा सकता चाहे ऐसा निर्णय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्देशों के अधीन लिया गया हो। न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश असाध्य दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं। [पेरा 26] [123-बी-एफ]

1.7 न्यायालयों को विशिष्ट वेतनमान के स्केल की अनुमति दिए जाने की घोषणा को रोका जाना चाहिए एवं सरकार को उसे निष्पादित किए जाने से पदों का समानीकरण एवं वेतन का समानीकरण ऐसा मामला है जिसे विशेषज्ञ निकाय पर ही छोड़ा जाना सही है। वेतन का निर्धारण एवं कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों से सम्बन्धित समता का निर्धारण एक कलिष्ट मामला है जो कि कार्यकारिणी द्वारा निष्पादित किया जाना है यहां तक कि वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार्य अथवा खारिज होने पर भी न्यायालय राज्य को वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने हेतु मजबूर नहीं कर सकता चाहे वह विशेषज्ञ निकाय हो। राज्य अपने विवेक एवं वैद्य निति के अग्रसरण में चाहे तो वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। संविधानी जिनके पास न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है-को क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं व्यथित कर्मचारीगण के पास उपचार केवल तभी है जब उनसे मनमाने राज्य के कार्य अथवा निष्क्रियता द्वारा

अन्यायपूर्वक बर्ताव पद के देय वेतन स्केल के निर्धारण करते हुए किया गया हो। [पेरा 13],[118-सी-एफ]

भारत संघ बनाम अरूण ज्योति कुनडू 2007 (7) एससीसी 472; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम हरियाणा सिविल सेकेट्रियेट पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन। 2002 (6) एससीसी 72- भरोसा किया.

केस लॉ संदर्भ

2007 (7) एससीसी 472	भरोसा किया	पेरा 13
2007 (6) एससीसी 472	भरोसा किया	पेरा 13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील की संख्या 5538/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय, के डब्ल्यू.पी.एस.टी.संख्या 33/2007 मे पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.12.2007 से ।

भास्कर पी. गुप्ता, राना मुखर्जी, अंचन चक्रबर्ती, गुडविल इन्दिवर अपीलार्थी की तरफ से।

दीपक कुमार जिना, मिनाक्षी घोष जिना मनमोहन उत्तरदाताओं की तरफ से।

न्यायालय द्वारा न्यायधीश बी सुदर्शन रेड्डी,जे द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया :-

1. यह अपील विशेष अपील द्वारा अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 19 दिसम्बर, 2007 के विरुद्ध निर्देशित है जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बैंच द्वारा डब्लूपीएससी नंबर 33 के 2007 द्वारा पारित की गई थी जिसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा प्रस्तावित रिट याचिका को खारिज किया गया था, यह अपीलार्थी एवं राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण पश्चिम बंगाल द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 18 अगस्त, 2005 की पुष्टि की गई थी।

2. इस प्रश्न पर विचारण किए जाने से पूर्व कि यदि निर्णय किसी दुर्बलता से ग्रस्त होने के कारण हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता है यह उचित एवं आवश्यक होगा कि सुसंगत तथ्यों पर ध्यान दिया जाए।

3. हस्तगत मामले में यह विवाद है कि जिसमें रिजोलूशन सेण्टर को विवाद से संबंधित वरिष्ठ प्रयोगशाला सड़क सहायक एवं भवन अनुसंधान संस्थान एवं अन्य विभाग लोक कार्य सड़क विभाग पश्चिम बंगाल सरकार समान वेतन स्केल अनुसंधान सहायक जो कि समान विभाग में है के अनुरूप योग्य है।

4. 4 जुलाई, 1972 को पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 की शक्तियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ अनुसंधान सहायक और वरिष्ठ प्रयोगशाला के पद पर भर्ती के विनियम के लिए नियम बनाया है। लोक निर्माण [सड़क] के तहत सड़क एवं भवन अनुसंधान संस्थान और विभिन्न अन्य विभागों में सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का पद अनुसंधान सहायक के पद का फीडर है। अनुसंधान सहायक के लिए वेतन व भत्ते संशोधन नियम 1981 [आरओपीए नियमों के लिए] के तहत निर्धारित वेतनमान स्केल संख्या 9 [रूपये 300-910] एवं वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद के लिए स्केल संख्या 6 [रूपये 300-685]

5. वर्ष 1982 में तीन वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों ने स्केल संख्या का दावा करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की थी। स्केल संख्या 11 आरओपीए नियमों के तहत इस आरोप पर कि वे वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों के समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उक्त रीट याचिका का निस्तारण उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा स्केल नंबर 11 प्रदान करते हुए किया गया। 11 जैसा कि रीट याचिकाकर्ताओं ने 25 नवम्बर, 1987 के फैसले के तहत दावा किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त रीट याचिका को गैर ट्रैवर्स के सिद्धान्त पर निपटाया गया था चूंकि राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व

नहीं था और उसकी ओर से कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था। हालांकि विद्वान न्यायाधीश ने 1 अप्रेल, 1981 से उक्त वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश देते हुए राहत दी गई लेकिन निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता केवल अप्रेल, 1987 से बकाये के हकदार होंगे। राज्य को मामले को तीसरे वेतन आयोग के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, जिससे आयोग वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के मामले पर उच्च स्केल बाबत विचार कर सके एवं उनकी योग्यता एवं कर्तव्यों पर भी विचार किया जा सके।

6. 30 जुन, 1987 को पश्चिम बंगाल राज्य के लिए तीसरे वेतन आयोग का गठन अपने कर्मचारियों के वेतन व परिलब्धियों में संशोधन कर विचार करने के लिए किया गया था। आयोग ने दिसम्बर, 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के लिए केवल स्केल 6 [संशोधित रूपये 1040-1920] और अनुसंधान सहायकों के लिए स्केल 9 [संशोधित रूपये 1260-2610] प्रदान किए गए थे। राज्य सरकार ने स्केल संख्या 6 व 9 क्रमशः की स्वीकृति वरिष्ठ प्रयोगशाला एवं अनुसंधान सहायक को आरओपीए नियम 1990 की सिफारिश पर दिया गया था। चौथे वेतन आयोग द्वारा उसी वेतन स्केल को प्रभावी रखा गया। हालांकि वेतन संरचना को संशोधित किया गया। राज्य सरकार ने तदनुसार रोपा नियम, 1998 बनाया।

7. यहां उत्तरदाताओं, जो अनुसंधान सहायक हैं, ने 12 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद वेतनमान में संशोधन और 1 अप्रैलए 1981 से वेतनमान संख्या में लाभ के निर्धारण का दावा करते हुए ट्रिब्यूनल से संपर्क किया। 14. उनका मामला अनिवार्य रूप से 1982 की रिट याचिका संख्या 2893W में स्केल नंबर देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित था। 11 से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो कि अनुसंधान सहायक का फीडर पद था और इसलिए, अनुसंधान सहायक अपने वेतनमान में आनुपातिक वृद्धि के हकदार थे। ट्रिब्यूनल ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर ओए का निस्तारण करते हुए मुख्य अभियंताए लोक निर्माण (सड़क) निदेशालय को निर्देश दिया कि वह उसके समक्ष दायर आवेदन को इसके अनुलग्नकों के साथ एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानें और एक तर्कसंगत आदेश द्वारा इसका निपटान करें।

8. जैसा भी होए मुख्य अभियंता ने दिनांक 31 अगस्त 2001 के आदेश द्वारा स्केल नं. 11 उत्तरदाताओं को जो राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं था। उत्तरदाताओं ने वर्ष 2002 में एक बार फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और मुख्य अभियंता के आदेशों के अनुसार वेतनमान को संशोधित करने के लिए राज्य के खिलाफ उचित निर्देश मांगे।ट्रिब्यूनल ने राज्य की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्य अभियंता आरओपीए नियमों को संशोधित करने या संशोधित करने

में सक्षम नहीं थेए जैसा कि उन्होंने अपने आदेश से किया था, उत्तरदाताओं के दावे को स्वीकार कर लिया।

9. अपीलकर्ता राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि की। इसलिए यह अपील.

10. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री भास्कर पी. गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटियों से ग्रस्त है। उच्च न्यायालय ने सुस्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करके विवादित मामले का फैसला करने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया। यह प्रस्तुत किया गया कि वेतन और भत्ते के संशोधन नियम (आरओपीए) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल के निर्देशों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए हैं और उनकी प्रकृति में बाध्यकारी हैं। क्रमिक वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर समय.समय पर नियमों में संशोधन किया जाता है। क्रमिक वेतन आयोगों ने लगातार स्केल संख्या की सिफारिश की है। 9 अनुसंधान सहायकों के लिए उत्तरदाता किस श्रेणी के हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य को उसके द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों के विपरीत कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया

गया कि वेतन आयोग ने कर्मचारियों के संबंधित वर्ग के कर्तव्योंए शैक्षिक योग्यताए कुल वेतन संरचनाए सरकार के वित्त और विभिन्न अन्य कारकों के मूल्यांकन के बाद वेतनमान तय किया। राज्य ने सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं और उसे किसी एक श्रेणी में अलग-अलग बदलाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के बदलाव से उसके कर्मचारियों की संपूर्ण वेतन संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

11. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय का पुरजोर समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकार ने फीडर श्रेणी में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों को लागू किया है।वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों की तुलना में निचले वेतनमान में अनुसंधान सहायकों के वेतनमान तय नहीं कर सकती है।

12. अब हम इस अपील की सुनवाई के दौरान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

13. इस न्यायालय ने बार.बार आगाह किया कि न्यायालय को एक विशेष वेतनमान देने की घोषणा करने से बचना चाहिए और सरकार को इसे लागू करने के लिए बाध्य करना चाहिए। पदों का समीकरण और वेतन का समीकरण एक ऐसा मामला है जिसे किसी विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ देना बेहतर है। वेतन का निर्धारण तथा कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में

समानता का निर्धारण एक जटिल मामला है जिसका निर्वहन कार्यपालिका को करना है। यहां तक कि वेतन आयोग की सिफारिशें भी स्वीकृति या अस्वीकृति के अधीन हैं, न्यायालय राज्य को वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, हालांकि यह एक विशेषज्ञ निकाय है। राज्य अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी वैध नीति को आगे बढ़ाने के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी। [भारत संघ बनाम् अरुण ज्योति कुंडू (2007) 7 एस सी सी 472. और राज्य हरियाणा और अन्य बनाम् हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ (2002)6 एस सी सी 12] इसमें कोई संदेह नहीं है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति से संपन्न संवैधानिक अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र है और पीड़ित कर्मचारियों के पास केवल तभी उपचार है, जब किसी पद के लिए वेतनमान तय करते समय राज्य की मनमानी कार्रवाई या निष्क्रियता द्वारा उनके साथ अन्याय किया जाता है।

14. वर्तमान मामले में तीसरे वेतन आयोग ने दिसंबरए 1988 में की गई अपनी सिफारिशों के तहत केवल स्केल नंबर की अनुमति दी। 6, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को एवं स्केल नं 9, अनुसंधान सहायकों के लिए। सरकार ने सिफ़ारिशों को स्वीकार करते हुए स्केल संख्या की अनुमति देते हुए नियम बनाये। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों और अनुसंधान सहायकों को क्रमशः 6 और 9। चौथे वेतन आयोग ने समान वेतनमान बरकरार रखाए

हालांकि वास्तविक वेतन संरचना को संशोधित किया गया था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में वेतनमान वैधानिक नियमों के तहत तय किए गए हैं। जिन नियमों के तहत वेतनमान तय किए जाते हैं, उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई है।

15. जैसा भी होए मुख्य अभियंता ने ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत कार्य करते हुए यह घोषणा करते हुए आदेश पारित किया कि प्रतिवादी उनके द्वारा मांगी गई राहत के हकदार हैं और तदनुसार उन्हें स्केल नंबर दिया गया। उत्तरदाताओं को 11. मुख्य अभियंता ने उन वैधानिक नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की जिसके तहत उत्तरदाता केवल स्केल नंबर के हकदार हैं। 9. सरकार ने इसे लागू नहीं कियाण् उत्तरदाताओं ने मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के लिए उचित दिशा-निर्देश मांगने के लिए एक बार फिर ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया।

16. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 18 अगस्त, 2005 द्वारा उत्तरदाताओं के ओए को अनुमति देते हुए कहा कि वे मुख्य अभियंता द्वारा अनुशंसित वेतन निर्धारण के हकदार हैं और राज्य को इसे प्रभावी करना चाहिए। हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य को मुख्य अभियंता की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश कैसे दे सकता है जो न केवल वेतन आयोग की सिफारिशों बल्कि आरओपीए नियम, 1998 के भी विपरीत हैं।

17. ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता.पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और उसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता को बरकरार रखते हुए एक बहुत ही अजीब कारण अपनाया जो हमारी राय में कानून में पूरी तरह से अस्थिर और टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि "अधिकरण ने, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए" मुख्य अभियंता को शक्ति प्रदान की है और ऐसा किया है कारण और इसे चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, भले ही तथ्य या कानून के आधार पर, दोनों आदेश सही हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, एक बार पारित होने के बाद और उचित मंच द्वारा रद्द नहीं किया जाता है और वही दोनों के बीच बाध्यकारी होता है।

18. उच्च न्यायालय के अनुसार मुख्य अभियंता का निर्णय अपनी प्रकृति में एक अर्ध न्यायिक है और वेतनमान के निर्धारण के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद को तय करने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत इसे पारित किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि मुख्य अभियंता का आदेश प्रतिनिर्णय के रूप में कार्य करता है। हम मामले के इस पहलू पर थोड़ी देर बाद विचार करेंगे।

19. इस अदालत ने एक से अधिक अवसरों पर न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई गई ऐसी प्रथाओं की निंदा की, जिसमें उनके सामने दायर आवेदनों को योग्यता के आधार पर उनके निर्णय के लिए कार्यकारी अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन के रूप में माना जाने का निर्देश दिया गया। यह उन न्यायाधिकरणों के लिए है जिन्हें योग्यता के आधार पर सेवा विवादों की जांच करने का अधिकार है। सत्ता का ऐसा प्रत्यायोजन अवैध और असंवैधानिक होने के अलावा ऐसे विवादों को तय करने के लिए संवैधानिक कर्तव्यों और कार्यों से बचना है जो विशेष रूप से कानून द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 323-ए के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इंगित करता है कि इसे प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया जा रहा था। संघ या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय या सुनवाई. अध्याय III न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्राधिकार से संबंधित है। धारा 14, 15 और 16 क्रमशः केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अधिकार से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों

के पास सेवा संबंधी सभी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर देश के हर अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है जहां वैधानिक प्रावधानों के दायरे पर भी सवाल हो। हालाँकि इस संबंध में उनका कार्य केवल पूरक है क्योंकि ऐसे निर्णय उच्च न्यायालयों की जांच के अधीन हैं। न्यायाधिकरणों को प्रदत्त अद्भुत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की सीमा ऐसी ही है। यह उनका परम कर्तव्य है कि वे अपने सामने आने वाले मामलों पर निर्णय लें लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र को गैर संवैधानिक अधिकारियों को न सौंपें। इस तरह की प्रथा अवांछनीय परिणामों से भरी होती है जो उस उद्देश्य और योजना को नष्ट कर देती है जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में विवादों का निपटारा करने के लिए इन्हें बनाया और गठित किया जाता है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि देश में न्यायाधिकरण अब से उनके समक्ष दायर मूल आवेदनों को उनके निपटान के लिए कार्यकारी अधिकारियों को भेजने की ऐसी प्रथा नहीं दोहराएंगे।

20. इस विवाद की उत्पत्ति न्यायाधिकरण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अनुचित प्रयोग में निहित है और इसका पता लगाने के लिए मूल आवेदन को मुख्य अभियंता को उसके निर्णय के लिए भेज दिया गया है। हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि ट्रिब्यूनल ने अपने

अधिकार क्षेत्र को मुख्य अभियंता को सौंपते हुए इस तरह का निर्देश कैसे जारी किया होगा।

21. अब हम इस प्रश्न पर वापस लौटेंगे कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करना उचित था।

22. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुख्य अभियंता ने "अर्ध-न्यायिक कर्तव्य का कार्य करते हुए एक गंभीर कर्तव्य का निर्वहन किया है जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अब, यह उसी के कार्यान्वयन का सवाल है"। उच्च न्यायालय इस हद तक गया कि ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार मुख्य अभियंता द्वारा दिया गया निर्णय एस्टॉपेल जारी नहीं होने पर पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य करता है। हम यह जानकर हतप्रभ हैं कि उच्च न्यायालय ने इतना अस्थिर प्रस्ताव रखा। मुख्य अभियंता ने किसी भी अर्ध.न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन का कार्य नहीं किया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपने आदेशों द्वारा किसी अर्ध.न्यायिक प्राधिकारी का निर्माण या गठन नहीं कर सकते हैं और उनके निर्णय के लिए ऐसे मामलों को नहीं सौंप सकते हैं जो अन्यथा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

23. क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति किसी मुख्य अभियंता को सौंप सकता हैघ् न्यायाधिकरण उन्हें प्रदत्त शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं और सेवा संबंधी विवादों पर निर्णय लेने के लिए

उन्हें आवश्यक कार्य और कर्तव्य नहीं सौंप सकते हैं। ऐसा प्रतिनिधिमंडल प्रारंभ से ही शून्य है। यह कहना बहुत ही सरल है कि कोई भी न्यायिक न्यायाधिकरण अपनी ज़िम्मेदारियाँ तब तक नहीं सौंप सकता जब तक कि वह स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को प्रदत्त शक्ति संविधान के अनुच्छेद 323-ए से प्राप्त होती है। ऐसी शक्ति संसद द्वारा बनाए गए वैध कानून के अलावा कभी नहीं सौंपी जा सकती। न्यायाधिकरण अपने स्वयं के कार्य द्वारा किसी भी विवाद को तय करने की शक्ति नहीं सौंप सकते हैं, जिसे कानून के अनुसार विशेष रूप से ऐसे न्यायाधिकरणों द्वारा तय किया जाना आवश्यक है।

24. उपरोक्त कारणों सेए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, (सड़क) निदेशालय को उत्तरदाताओं द्वारा उनके वेतनमान के संबंध में उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने का निर्देश देने वाला प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश शुरू से ही शून्य है और इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

25. अगला प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या मुख्य अभियंता का निर्णय प्रत्युत्तर के रूप में कार्य करता है? उच्च न्यायालय ने मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेशों को निर्णय मानने में गंभीर त्रुटि की। मुख्य अभियंता द्वारा पार्टियों के बीच किसी मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। कानून में मुख्य अभियंता किसी भी विवाद

पर निर्णय लेने का हकदार नहीं था और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद और शिकायत के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं । मुख्य अभियंता किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक क्षमता में कार्य नहीं कर रहे थे। कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय अदालतों को बाध्य नहीं करते हैं और न्यायिक निर्णय के रूप में तो बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों में, मुख्य अभियंता द्वारा लिया गया यह विचार कि उत्तरदाता स्केल नंबर 11 के हकदार थे, न्यायिक निर्णय के रूप में काम नहीं कर सकता।

26. एक और प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या परमादेश का रिट राज्य को कानून के विपरीत कार्य करने के लिए बाध्य करता है? राज्य सरकार ने लगातार वेतन आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए आरओपीए नियमों के तहत वैधानिक नियम बनाकर उन सिफारिशों को प्रभावी किया और कर्मचारियों के वेतनमान तदनुसार तय किए गए हैं। उत्तरदाताओं ने उक्त नियमों के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी जिसके तहत वे केवल एक विशेष वेतनमान के हकदार थे। राज्य सरकार वैधानिक नियमों का पालन करने और केवल वही वेतनमान देने के लिए बाध्य है जो वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित हैं। न तो सरकार नियमों के विपरीत कार्य कर सकती है और न ही न्यायालय सरकार को

नियमों के विपरीत कार्य करने का निर्देश दे सकता है। किसी सरकार को कानून के किसी प्रावधान को लागू करने से परहेज करने का निर्देश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कोई भी अदालत अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी नहीं कर सकती क्योंकि यह अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करने जैसा होगा। ऐसे निर्देशों के परिणामस्वरूप कानून का शासन नष्ट हो सकता है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश ने वास्तव में राज्य को वैधानिक नियमों के विपरीत वेतनमान देने के लिए मजबूर किया जिसके तहत कर्मचारियों के वेतनमान तय किए जाते हैं। मुख्य अभियंता का निर्णय रोपा नियम, 1998 के विपरीत होने के कारण, इसे लागू नहीं किया जा सकता, भले ही ऐसा निर्णय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्देशों के तहत लिया गया हो। ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश असाध्य दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

27. उपरोक्त कारणों से उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के निर्णय को रद्द किया जाता है। हालाँकि विवादित आदेशों के अनुसार उत्तरदाताओं को भुगतान की गई कोई भी राशि वसूल नहीं की जाएगी।

28. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है।

एन.जे.

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मधु शर्मा, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रजी संस्करण ही मान्य होगा।